कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

सहकार संवाद

अगस्त-अक्टूबर 2022 अंक-07, वर्ष-02 (मासिक)

निबंधक की कलम से

सहकारिता ग्रामीण भारत के विकास की रीढ़ है जिसके माध्यम से राज्य एवं देश के कृषक स्वंय द्वारा निर्मित एवं संचालित लैम्पस/पैक्स के माध्यम से कृषि आधारित आवश्यकताओं की पूर्ती करते हैं। पैक्स एवं लैम्पस अल्पकालीन ऋण (STCC) संरचना का सबसे निचला स्तर है जिसमें राज्य के लगभग 15 लाख कृषक परिवार तथा राष्ट्रीय स्तर पर 13 करोड़ परिवार सदस्य हैं। देश में सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये के0सी0सी0 ऋणों के 41 प्रतिशत के0सी0सी पैक्स एवं लैम्पस के माध्यम से वितरित किये जाते हैं जिसमें 95 प्रतिशत ऋण छोटे व सीमान्त किसानों को दिये गये हैं।

राज्य में लैम्पस एवं पैक्स की कुछ गतिविधियों के लिए राज्य में उनके कम्प्यूटारीकरण का कार्य किया जा रहा है किंतु आज भी हमारे अधिकांश लैम्पस/पैक्स अपनी पुरानी परंपरा आधारित कार्यप्रणाली एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं जिसके कारण उनमें दक्षता, अन्य निजी संस्थानों से प्रतिस्पर्धा में परेशानियों के साथ साथ उनके संचालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

कृषकों के व्यापक हित बहु–गतिविधि आधारित E.R.P (Enterprise Resource Planning) सॉफ्टवेयर पर सभी लैम्पस एवं पैक्सों को लाने की आवश्यकता है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (PACS/LAMS) के कम्प्यूटरीकरण की योजना को मंजूरी दी गयी है तथा इसे प्रारंभ किया जा रहा है। योजना के तहत चरणवार क्रम में अगामी पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27) के दौरान देश की तिरसठ हजार से अधिक कार्यात्मक प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियां यानि पैक्स (झारखण्ड के संदर्भ में पैक्स एवं लैम्पस दोनों) के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है। इस योजना के माध्यम से देश के लगभग तेरह करोड़ कृषकों को लाभ मिल सकेगा।

उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य में प्रथम चरण में 1500 लैम्पस/पैक्सों को कम्प्यूटरीकृत किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा उसके आलोक में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है। विशेष अभियान चलाकर लैम्पस एवं पैक्सों में अंकेक्षण का कार्य कराया गया है तथा सितंबर माह के अंत तक 1782 समितियों में अंकेक्षण का कार्य हो चुका है। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर पर D.L.I.M.C (District Level Implementation & Monitoring Committee) का गठन किया जा चुका है। जिले से लैम्पस/पैक्स के कम्प्यूटराईजेशन के प्रस्ताव D.L.I.M.C के माध्यम से चयनित होकर आएंगे।

योजना के तहत राज्य के लैम्पस एवं पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण से राज्य के सहकारिता परिदृश्य को समझने एवं उनमें आवश्यकतानुसार सुधार करने में सुविधा हो सकेगी।

- ✓ हमारे लैम्पस/पैक्स पूरे देश के लिये निर्मित एक समान सॉफ्टवेयर प्रणाली के अन्तर्गत कार्य करने में सक्षम होंगे तथा पूरे देश के सहकारिता परिदृश्य से अवगत हो सकेंगे।
- ✓ लैम्पस एवं पैक्सों को उर्वरक, बीज, कृषि इनपुट, कॉमन सर्विस सेंटर (प्रज्ञा केन्द्र) के प्रावधान के लिये नोडल सेवा वितरण बिन्दु बन सकेंगे तथा अपनी आय में वृद्रि के साथ साथ अपने सदस्यों को भी बेहतर सेवा देने में सक्षम होंगे।
- ✓ बैंकिंग गतिविधियों के साथ साथ गैर–बैंकिंग गतिविधियों के केन्द्र के रूप में भी लैम्पस/पैक्स की पहुंच हो सकेगी।
- ✓ झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 तथा इसकी शाखाएं पूर्व से ही R.B.I द्वारा उपलब्ध कराए गए सी0बी0एस (Core Banking Solutions) पर हैं। लैम्पस/पैक्सों को झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक एवं शाखाओं से जोड़ा जा सकेगा जिससे वे उनके एजेन्ट/बिजनेस कोरेसपोंडेंस के रूप में कार्य करने में सक्षम होंगे।
- ✓ गतिविधियों से जुड़े मॉड्यूल के माध्यम से लैम्पस/पैक्स लेखा संधारण, आंकड़ों का रख रखाव के अलावा अपनी 25 से अधिक विभिन्न गतिविधियों के लिए अलग अलग मॉड्यूल का उपयोग कर सकेंगे। योजना के माध्यम से उनके आंकड़े को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा सकेगा।

हमारा उद्देश्य राज्य के सहकारिता प्रक्षेत्र विशेष रुप से हमारे लैम्पस एवं पैक्सों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाकर उनको संबल और आधुनकि तकनिक एवं संसाधनों से युक्त करना है ताकि वे बाजार की प्रतिस्पर्धा में पीछे न रहें और अपने सदस्यों के साथ मिलकर उनके हितों एवं आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें और एक स्वस्थ सहकारिता परिवेश का निर्माण कर सकें।

शुभ कामनाओं सहित

मृत्युंजय कुमार बरणवाल
निबंधक

प्रकति की गोद में अवस्थित बनारी लैम्पस

राँची नेतरहाट मार्ग पर गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखण्ड की खूबसूरत प्राकृतिक वादियों में स्थित है बनारी लैम्पस। बनारी लैम्पस से सट कर उत्तरी कोयल नदी बहती है तथा उसकी छटा देखते ही बनती है, नदी पार करने के कुछ दूर बाद ही नेतरहाट के पहाडों की घाटियां प्रारंभ हो जाती हैं ।

प्राकृति की गोद में अवस्थित बनारी पंचायत का बनारी लैम्पस अपने लगभग 2000 सदस्यों के साथ मिलकर क्षेत्र के लोगों विशेषकर कृषकों एवं कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में कार्य कर रहा है।

लैम्पस के अध्यक्ष श्री भिखाएल टोप्पो के अनुसार लैम्पस के कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तथा उन्हें अपनी रोजमर्रा की चीजों के क्रय अथवा अपनी उपज अथवा संकलित वनोत्पाद के विक्रय हेतु बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। लोगों की इस परेशानियों को देखेते हुए लैम्पस ने अपने सदस्यों के सहयोग से व्यापक पैमाने पर उन्हे ससमय उर्वरक एवं बीज आदि उपलब्ध कराने का कार्य किया गया साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान क्रय करना प्रारंभ किया। उर्वरक तथा बीज व्यवसाय के क्षेत्र में अपने कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त नोडल एजेंसी के रुप में कार्य करते हुए आसपास के लैम्पसों को ससमय उर्वरक, बीज, उपकरण आदि उपलब्ध कराने का कार्य किया गया।

लैम्पस वनोत्पाद के संग्रहकत्ताओं से ईमली, लाह, आदि वनोत्पादों के क्रय का कार्य भी करती आ रही है। इस वित्तीय वर्ष में क्षेत्र में ईमली की कीमतों में भारी कमी आ गयी थी तथा इसके संग्रहकर्त्ता औनी–पौनी कीमत पर बिचौलियों को ईमली बेचने पर मजबूर थे ऐसी परिस्थिति में लैम्पस द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 210 क्विंटल ईमली का क्रय राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्था झाम्फकोफेड के लिये किया गया है ।

बनारी लैम्पस द्वारा सहकारिता के परंपरागत कार्यों के अलावा जमा वृद्धि योजना को भी चलाया जा रहा है। बनारी क्षेत्र में अन्य व्यवसायिक बैंकों की तुलना में बनारी लैम्पस की साख अच्छी है जिसके फलस्वरुप बनारी जैसे अपेक्षाकृत छोटी जगह होने के बावजूद लैम्पस में लगभग एक करोड़ बीस लाख रुपये लागों के जमा हैं।

बनारी लैम्पस ने विभाग द्वारा प्रदत्त कंम्प्यूटर सेट के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर(प्रज्ञा केन्द्र) की भी शुरुआत की है तथा सफलता पूर्वक कार्य करते हुए अपने सदस्यों के अलावा क्षेत्र के लोगों को भी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य सरकारी एवं लोक उपक्रमों द्वारा प्रदत्त ई– सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

लैम्पस वर्तमान में 54 लाख 50 हजार रुपयों से अधिक के लाभ में है तथा इसमें उत्तरोत्तर और वृद्धि हो रही है। आसपास व्याप्त प्राकृतिक छटा एवं सौंदर्य को देखते हुए तथा नेतरहाट के प्रवेश द्वार पर स्थित होने के कारण लैम्पस की कार्यकारणी लैम्पस के माध्यम से पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करने की योजना बना रही है।

प्रेरणा

सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की कहानी

मैं एलबिना सोरेन ग्राम– बागनल, पंचायत– पारामिला, ब्लॉक– दुमका, जिला– दुमका झारखण्ड की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं जिसमें मेरे पति के अलावा मेरे तीन लड़के हैं। आज मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि "एकता महिला कुकुट पालक स्वावलंबी सहकारी समिति लि0, दुमका" से जुड़ने के बाद मुर्गीपालन के माध्यम से मेरी जिदंगी कैसी बदली तथा जीवन जीने के तरीके में कैसे बदलाव हुआ।

पहले मेरे गाँव में रोजगार का स्त्रोत बहुत ही कम था। जीवन यापन के लिए हमलोगों के पास खेती ही एक मात्र सहारा था। पूरी लगन एवं मेहनत से खेती करने के बाद भी पूरे साल तक मात्र खाने भर का अनाज होता था। घर मिट्टी एवं खपड़ा का बना हुआ था जिसमें बरसात के मौसम में पानी घर के अंदर आ जाता था। परिवार के सदस्य में से किसी की तबीयत खराब होने पर प्राथमिक उपचार के लिए पैसे माँगने पड़ते थे। ऐसे हालात में मजबूरन साल में दो बार धान रोपाई एवं धान कटाई करने के लिए बंगाल पलायन करना पड़ता था। वहाँ पीठ पर बच्चे को बाँधकर और माथे के उपर खाना रखकर पैदल 1–2 कि0मी0 चलकर खेत जाना पड़ता था। हमारा जीवन पूरा अस्त–व्यस्त रहता था।

मेरे जीवन में परिवर्तन का दौर तब शुरू हुआ जब प्रदान संस्था के कर्मचारी द्वारा यह बताया गया कि दुमका जिले में एक महिला सहकारी समिति है जिसका नाम **"एकता महिला कुकुट पालक स्वावलंबी सहकारी समिति लि0"** है और यह 2009 से दुमका के काठीकुंड, शिकारीपाड़ा एवं दुमका ब्लॉक के गरीब महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसमें सरकार एवं विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं की योजनाओं का लाभ मिल रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सहकारी समिति के सहायता से मुर्गीपालन के द्वारा आजीविका का स्थायी स्त्रोत उपलब्ध करा कर सशक्त बनाना है।

यह सुनकर मेरे मन में खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैंने दूसरे गाँव जाकर दीदियों से बात किया और पता चला कि मुर्गीपालन करने के लिए मुर्गीघर की जरूरत होगी। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे जिससे मैं मुर्गीघर का निर्माण कर सकूं। ऐसी परिस्थिति में झारखण्ड महिला स्वावलंबी पोल्ट्री सहकारी संघ लि0, राँची। (जिसका मुख्य कार्य राज्य के अंदर प्राथमिक पोल्ट्री सहकारी समितियों को संचालन में सहयोग करना और समय–समय पर समीक्षा करना) और नेशनल स्मॉल–होल्डर पोल्ट्री डेबलपमेंट (NSPDT) जिसका मुख्य काम देश भर के राज्यस्तरीय मुर्गीपालक समितियों को एक सूत्र में बाँधना, प्रशिक्षित व्यक्तियों की बहाली करना एवं समितियों को मार्गदर्शन देना है) के सहयोग से वर्ष 2014 में 400 Sq.ft. का मुर्गीघर का निर्माण हुआ और मैं समिति से जुड़कर मुर्गीपालन करने लगी और 7–8 बैच मुर्गी पालकर सलाना लगभग 35,000 से 40,000 रू0 आमदनी करने लगी।

पिछले दो साल से आजतक मुर्गीपालन करते हुए गाँव के अन्य मुर्गीपालक सदस्यों का सुपरवाइजर का भी काम कर रही हूँ।

आज मैं अपने आप में खुश एवं आत्मनिर्भर हूँ। आज मुझे कहीं भी पलायन करने की जरूरत नहीं है। मेरे तीनों बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं। आज अपने पुराने खपड़े वाले मकान को नवीनीकरण कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास 10 बैल, 4 बकरी एवं एक मोटरसाइकिल भी है। अभी मेरे पास एक ही चुनौती है कि कैसे मैं 400 St.ft के मुर्गीघर को 800 St. ft के मुर्गीघर में बदलू ताकि आमदनी में बढ़ोत्तरी कर पाऊँ।

'सहकार से समृद्धि' पर दो दिवसीय सम्मलेन

06 जुलाई 2021 को एक नए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र के विकास को नए सिरे से प्रोत्साहन प्रदान करना और सहकार से समृद्धि की दृष्टि को साकार करना है। सहकारिता मंत्री के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय सभी राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सहयोग से सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत है।

इसी पृष्ठभूमि में सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 08–09 सितंबर, 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्य के सहकारिता मंत्रियों, सहकारिता सचिवों एवं निबंधक सहकारी समितियों का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सहकारिता मंत्री ने राज्यों से सहकारी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया ताकि यह भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके, उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि सहकारिता आंदोलन भारत के हर राज्य में समान गति से चले।

सम्मलेन में जानकारी दी गयी कि सरकार ने एक नए राष्ट्रीय सहयोग नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए 47 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जो सहकारी–आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देगा। 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार करेगी ।

दो दिवसीय सम्मेलन में 21 राज्यों के सहकारिता मंत्रियों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों, सचिव (सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार), और सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार, मुख्य और अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों तथा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के विषय पर अपने विचार और सुझाव साझा किए। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रस्तुतियां दीं और अपने सर्वोत्तम तौर–तरीकों को आपस में साझा किया।

झारखण्ड राज्य में सहकारिता के क्षेत्रों में किये गए उल्लेखनीय कार्यों से सम्बंधित एक लघु फिल्म का सम्मलेन में प्रदर्शन किया गया तथा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता सचिव अबुबक्कर सिद्दीख. पी ने पावर पॉइंट के माध्यम से विस्तृत रूप से राज्य के सहकारी कार्यों से सभी को अवगत कराया, सम्मलेन में निबंधक, सहयोग समितियां, झारखण्ड मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने भी सम्मलेन में अपने विचारों को साझा किया ।

सम्मलेन में राष्ट्रीय सहकारिता नीति, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस, सहकारिता मंत्रालय की नई प्रस्तावित योजनाओं जैसे हर पंचायत में पैक्स कृषि आधारित अन्य उत्पादों का निर्यात, जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन और इनका विपणन, नए क्षेत्रों में सहकारी समितियों का विस्तार आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विचार–विमर्श किया गया। इसके अलावा, पैक्स कम्प्यूटरीकरण, निष्क्रिय पैक्स के पुनरोद्धार के लिए कार्य योजना सहित पैक्स और मॉडल उप–नियमों से संबंधित विषयों के साथ दीर्घकालिक वित्तपोषण को प्राथमिकता देने के संबंध में प्राथमिक सहकारी समितियों से संबंधित मुद्दों, दुग्ध सहकारी समितियों और मछली सहकारी समितियों आदि पर भी भी चर्चा की गई।

सहकारी वित्त पोषण में अग्रणी होने के नाते एनसीडीसी ने राज्यों में अपने क्षेत्रीय निदेशालयों के माध्यम से सहकारी क्षेत्र को ऋण देने की संभावनाओं और अवसरों के बारे में जानकारी दी।

श्री ज्ञानेश कुमार, सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में सहकारी आंदोलन की ताकत पर प्रकाश डाला और राज्यों से अनुरोध किया कि वे भारत सरकार द्वारा अनुशंसा की गयी पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना के तहत अद्यतन हार्डवेयर के साथ–साथ अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर को अपनाएं। इसके अलावा, सहकारिता के जरिये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय एमएससीएस 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर के सहकारी निर्यात प्रकोष्ठ के पंजीकरण की सुविधा प्रदान कर रहा है, जो विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि सहकारिता आंदोलन से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों की निर्यात क्षमता का लाभ उठाया जा सके

'सहकार से समृद्धि' मंत्र को साकार करने के लिए देश में सहकारी आधारित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देने के क्रम में सभी हितधारकों को साथ मिलकर काम करने के संकल्प के साथ सम्मेलन का समापन हुआ।

झारखण्ड सहकारिता सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सेवा परीक्षाओं के माध्यम से झारखण्ड सहकारिता सेवा के चयनित 15 पदाधिकारियों के चार माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 01 नवंबर, 2022 से श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची में प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण सत्र की पहली परिचयात्मक कक्षा को संबोधित करते हुए निबंधक, सहयोग समितियां, झारखण्ड, मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) के प्रमुख कार्यों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी देते हुए उसमें पदाधिकारियों के दायित्व एवं कत्तव्यों से सभी प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया तथा सहकारिता परिवार में उनके सुखद एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

झारखण्ड सहकारिता सेवा के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पदाधिकारियों के साथ निबंधक, सहयोग समितियां, मृत्युंजय कुमार बरणवाल

झारखण्ड सहकारिता सेवा के पदाधिकारियों का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चार माह तक चलेगा जिसमें विभाग के वरीय पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न प्रक्षेत्रों के जानकारगण उन्हें झारखण्ड सहकारी समितियों, झारखण्ड स्वावलंबी सहकारी समितियों के अधिनियम, समय समय पर उनमें हुए संशोधन, नियमावली, ट्रिब्यूनल, राज्य के शीर्ष सहकारी संस्थान आदि से संबंधित जानकारी तथा उसमें सहकारिता सेवा एवं पदाधिकारियों की भूमिका एवं दायित्वों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सहकारिता प्रक्षेत्र के अतिरिक्त पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन, झारखण्ड सेवा संहिता, कोषागार संहिता आदि की भी जानकारी दी जायेगी ।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखण्ड लोक सेवा आयोग की चौथी, छठी तथा सातवीं संयुक्त परीक्षा सेवा के माध्यम से झारखण्ड सहकारिता सेवा संवर्ग में चयनित वैसे सभी पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं जिन्होने पूर्व में इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

झारखंड राज्य फसल राहत योजना की प्रगति

झारखंड राज्य फसल राहत योजना की प्रगति अनियमित मानसून, सुखाड़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल क्षति की स्थिति में राज्य के किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना संचालित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत केवल प्राकृतिक आपदा से होने वाले फसल क्षति के मामले में किसानों को सुनिश्चित वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को योजना के वेब पोर्टल https://jrfry.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन निबंधन करना है एवं प्रत्येक वर्ष प्रत्येक फसल मौसम (खरीफ एवं रबी) में अलग अलग ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। योजना अंतर्गत पंजीकरण एवं आवेदन करने के लिए किसानों द्वारा कोई प्रीमियम नहीं दिया जाना है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत खरीफ फसल मौसम हेतु धान और मक्का को अधिसूचित किया गया है। ''खरीफ 2022'' हेतु वेबपोर्टल पर किसानों के ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवदेन की प्रक्रिया 21 जुलाई 2022 से प्रारंभ हुई है। अक्टूबर 2022 तक 24,00,473 किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है एवं 17,13,474 किसानों ने ''खरीफ 2022'' हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है।

झारखंड राज्य फसल राज्य योजना	
कुल निबंधन (अक्टूबर 2022 तक)	24,00,473
खरीफ 2022 हेतु कुल आवेदन	17,13,474
धान हेतु कुल आवेदन	15,05,762
मक्का हेतु कुल आवेदन	64,975
धान एवं मक्का दोनों हेतु कुल आवेदन	15,70,737

सहकारिता के रास्ते विकास के रास्ते

सहकारी समितियां सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली आर्थिक उद्यम हैं तथा अपने सदस्यों के हितसाधन हेतु बाजार की विफलताओं के नकारात्मक प्रभाव को सही या कम करने के लिए स्वेच्छा से स्थापित की जाती हैं। सहकारी उद्यमों द्वारा लोग एक समूह बनाकर और आवश्यक संसाधनों को एकत्र करके अपने आर्थिक उद्देश्यो की पूर्ति कर सकते है, जो एक अकेले व्यक्ति के लिए शायद संभव नही है। सहकारी उद्यम बाजार तक असानी से पहुंचकर अच्छे पैमाने पर एक सुदृढ़ अर्थ व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से स्वत्रंत बाजार की स्थिति बनाकर, सहकारी उद्यम देश की अर्थव्यवस्था और समाजिक संरचना के लिए एक सकारात्मक छाप छोड़ सकते हैं।

सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए उनके मौलिक स्वरूप और विशेषताओं का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसी सहकारी संस्थायें अपनी अहमियत लम्बे समय तक बरकरार नहीं रख पातीं हैं जिन्हें सामाजिक या अन्य कारण से सरकार द्वारा आर्थिक और बाजार की ताकतों का मुकाबला करने हेतु अनावश्यक संरक्षण दिया जाता है। सहकारी समितियां तभी टिकाऊ हो सकती हैं जब उन्हें मजबूत बनाने के लिए उचित वातावरण मिले। इनको मजबूत करने के प्रयास की शुरुआत प्राथमिक स्तर की संस्थाओं के विकास से होनी चाहिए। मजबूत प्राथमिक संस्थाएं ऊपरी स्तर की सहकारी प्रणाली को स्वतः मजबूत कर देंगी। कृषि उत्पादन में वृद्धि और ग्रामीण आबादी के बीच गरीबी को कम करने के लिए सहकारी समितियां सर्वोत्तम विकल्प हैं।

सहकारी समितियों को लाभ कमाना भी जरूरी है ताकि वे टिकाऊ बनी रहें और उनका विकास हो सके। इनको किसी भी आने वाले जोखिम से निपटने के लिए अपने सदस्यों को पूंजी निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

ज्यादातर मामलों में, यह देखा गया है कि समर्पित सदस्यों के बावजूद सहकारी संस्थाएं अपनी पूंजीगत जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती हैं। प्रर्याप्त वित्तीय संसाधनों के बिना सहकारी समितियां अच्छे से काम भी नहीं कर सकती और यह भविष्य में उनके अस्तित्व के लिए भी संकट का कारण बन सकता है। सशक्त एवं कुशल सहकारी संस्थाएं ही व्यापार की शर्तों को अपने अनुकूल बना कर सदस्यों की समृद्धि सुनिश्चित कर सकती हैं। सहकारी व्यापार सिद्धांतो के पूर्ण अनुपालन से ही सहकारी समितियों का विकास संभव हो सकता है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि सहकारी समितियां गरीबों और वंचित समुदाय का भला कैसे कर सकती हैं बल्कि सवाल तो यह होना चाहिए कि सहकारी समितियों से जुडकर गरीब और वंचित समुदाय अपना भला कैसे कर सकते हैं।

गतिशील एवं बदलती बाजार संरचनाएं और स्थितियां संगठनात्मक ढांचा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सहकारी समितियों को अपनी संगठनात्मक संरचना और व्यवसाय को बाजार की परिस्थितियों के अनुकूल ढालना होगा। छोटी प्राथमिक सहकारी समितियां भी अपना अस्तित्व बरकरार रख सकती हैं बशर्ते कि वह जल्द से जल्द संगठित होकर क्षेत्रीय व्यापार नेटवर्क को स्थापित करें। इस तरह की व्यवस्था से वह अपने कम संसाधनों को बेहतर ढंग से आवंटित करने में सक्षम होंगी और यह व्यवसाय के जरूरी स्तर को प्राप्त करने के लिए भी जरूरी है। रोजमर्रा के व्यवसाय प्रबंधन का जिम्मा कुशल व्यावसायिक प्रबंधकों के हाथ में होना चाहिए।

सहकारिता एक सामुहिक उद्यम है और इसकी की मजबूती उसके सदस्यों पर निर्भर करती है। देश में सहकारिता के भविष्य की संभावनाएं आशाजनक हैं क्योंकि यह कृषि विकास,आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए एक मूलभूत गतिविधि के रूप में कार्य करती है। कुशलता से कार्य करने वाली सहकारी संस्थाएं ही आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के उद्देश्य को हकीकत में तब्दील करने की क्षमता रखती हैं। सदस्यों के बीच इमानदार प्रतिबद्धता से ही सहकारी समितियों का बेहतर प्रबंधन करना संभव है।

सोलर कोल्ड रुम, अब किसान भी कर सकेंगे फल–सब्जियों का भण्डारण।

राज्य का सहकारिता प्रभाग राज्य के कृषकों की उपज को लंबे समय तक सही और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पूरे राज्य में एक कोल्ड चेन स्थापना करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसके तहत सभी 24 जिलों में 5000 एम0टी क्षमता के कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जानी है जिसके तहत अभी 18 जिलों में 19 कोल्ड स्टोरेज का निर्माण प्रारंभ किया गया है जिसमें चतरा तथा जमशेदपुर में निर्माण कार्य पूण हो चुका है। कोल्ड स्टोरेज के अलावा राज्य के 139 प्रखण्डों में 30 एम0टी क्षमता के कोल्ड रुम बनाये जा रहे हैं।

राज्य के कई प्रखण्डों में तीन फेज वाले विद्युत कनेक्शन सहित निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा उपयुक्त भूमि की उपलब्धता की समस्या भी रहती है, इन सबको ध्यान में रखते हुए लैम्पस/पैक्सों में 5 एम0टी क्षमता वाले पोर्टेबल सोलर कोल्ड रुम लगाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया गया। 5 एम0टी0 क्षमता वाले ये पोर्टेबल सोलर कोल्ड रुम बहुत कम स्थान पर आसानी से अधिष्ठापित किये जा सकते हैं, ये पर्यावरण के लिये सुरक्षित हैं तथा इनका संचालन सौर उर्जा के माध्यम से किया जाता है। ये कोल्ड रुम फल और सब्जियों को कई दिनों तक सुरक्षित रखने में सक्षम हैं।

झारखण्ड के लैम्पस एवं पैक्सों में 5 एम0टी क्षमता के 117 सोलर कोल्ड रुम के अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है जिसमें से 47 में कार्य पूर्ण हो चुका है। इन कोल्ड रुम को बेहतर एवं सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के उद्देश्य से सभी संबंधित लैम्पस/पैक्स के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें सहकारिता विभाग के जिला एवं अनुमण्डल स्तर के पदाधिकारियों के अलावा राज्य मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी एवं कोल्ड रुम अधिष्ठापन करने वाली कंपनी के प्रशिक्षक क्षेत्र में जाकर प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं।

इन छोटे सोलर कोल्ड रुम के माध्यम से किसान आसानी से अपनी फसलों का भण्डारण अपने निवास स्थान के आसपास ही कम खर्च पर कर सकेंगे, उन्हें अपने फल– सब्जियों आदि को रखने के लिये भाड़ा लगाकर दूर जाकर बड़े – बड़े कोल्ड स्टोरेज के चक्कर नहीं लगाने पडेंगे।

राज्य में सब्जियों एवं फलों का व्यापक पैमाने पर उत्पादन होता है। रोजाना झारखण्ड से सब्जियां भंडारण की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से या तो बाहर भेज दी जाती हैं या स्थानीय बाजारों में बिचौलियों के हाथों बहुत कम कीमत पर बेचने के लिये किसान विवस हो जाते हैं। कई बार तो कुछ चीजों का उत्पादन इतना अधिक हो जाता है कि कोई खरीददार नही मिल पाता है और अपनी अपनी बड़ी धन राशि खर्च कर खून पसीने से उसे उपजाना वाला किसान उसे वहीं बाजार में छोड़ कर जाने को मजबूर हो जाता है। ऐसे में ये छोटे सोलर कोल्ड रुम उन छोटे किसानों के लिये वरदान साबित होंगे।

5 एम0टी क्षमता वाले कोल्ड रुम से संबंधित कुछ तथ्य

- सूचक प्रणाली के माध्यम से अब सिस्टम खराब होने से पहले ही पता चल जाता है।
- उत्पाद को उचित वातावरण में सिस्टम के अंदर रखा जा सकता है, जिससे कि वो लम्बे समय तक के लिए ताजा रह सके।
- इसकी थर्मल स्टोरेज तकनीक, जो कि एक नवीनतम तकनीक है, के इस्तेमाल से 30 घंटे से ज्यादा समय तक के लिए रूम का तापमान बना रहता है और बैटरी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इससे सिस्टम का रख–रखाव काफी आसान हो जाता है।
- सोलर कोल्ड रूम को आप इन्ड्रॉइड एप्लिकेशन के द्वारा चला सकते हैं, केवल स्क्रीन टच करते ही कमरे के अंदर का आवश्यक वातावरण सेट करता है।
- यन्त्र के व्यवहार को सामने दिए हुए डिस्प्ले पैनल के माध्यम से देखा जा सकता हैं या फिर मोबाइल फोन के जरिए एप्लिकेशन पर भी देख सकते हैं।
- फल, सब्जियों, फूलों और अन्य खराब होने वाली वस्तुओं को ज्यादा समय तक ठंडा रखता है।
- अपने उत्पाद को सही समय पर मार्केट में बेचकर उसका सही दाम पा सकते हैं।
- आपको अपना उत्पाद बेचने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- फसल की बर्बादी नहीं होने से आपकी प्रभावी उत्पादकता बढ़ेगी।
- सोलर कोल्ड रूम में कम से कम परिचालन लागत आती है और मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है।
- ताजे फल, फूल व सब्जी के अच्छे दाम मिलने से आय में बढ़ोत्तरी।

उपज लोडिंग/अनलोडिंग नियम –

- उपज को सुबह 10 बजे से पहले लोड करने का प्रयास करें।
- लोड करने से पहले, उपज को आकार या गुणवत्ता के अनुसार क्रमबद्ध और वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
- रोगग्रस्त उत्पाद, मलबा और मिट्टी के कणों को अलग किया जाना चाहिए और इकोफ्रोस्ट कोल्ड रूम में लोड नहीं किया जाना चाहिए।
- उपज गीली होने पर भंडारण से बचें।
- क्रेट को सीधे कूलिंग फैन के सामने लोड न करें।
- लिंक सिस्टम से कम से कम 20cm की दूरी बनाए रखें।
- दीवार से 10cm की दूरी रखें।
- क्रेटों के बीच 5cm की जगह रखें।
- उपज को कृषि उपज के प्रकार के आधार संग्रह व भंडारण डिब्बे, अलमारियों पर बक्से या बाल्टी में संग्रहित किया जाना चाहिए।
- क्रेटों की ओवरफिलिंग न करें।
- बेहतर वायु संचार के लिए पैलेटों को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- इकोफ्रोस्ट कोल्ड रूम में कहीं से भी संग्रहित उपज को हटाने के लिए एक चलने वाली गली प्रदान की जा सकती है।
- हर 2 दिन के बाद भंडारित उपज की जांच करें।
- दैनिक आधार पर HMI (हयूमन मशीन इंटरफेस) पर तापमान और आद्रता की जांच करें।
- खुली धूप की स्थिति में उपज को सीधे स्थानांतरित करने से बचे, पहले उपज को कोल्ड स्टोरेज से छाया क्षेत्र में/पंखे के नीचे 30 मिनट से 2 घंटे तक स्थानांतरित करे।
- दरवाजों का खुलना कम से कम होना चाहिए और रात में खुलने से बचना चाहिए।
- सौर पैनलों को सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य साफ करना चाहिए।

युवा सहकार योजना

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा युवाओं को स्वरोजगार और उस कार्य हेतु आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए युवा सहकार योजना की शुरुआत की गयी है ।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) सीएसआईएफ (सहकारी स्टार्ट–अप और इनोवेशन फंड) में 1000 करोड़ रुपये का योगदान देता है।

एनसीडीसी युवा सहकार योजना का लक्ष्य भारतीय सहकारी उद्यमियों और उनके लिए काम करने वालों को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। यह सहकारी क्षेत्रों को सस्ते ऋण की आपूर्ति करके पूरा किया जाता है

युवा सहकार योजना की विशेषताए

- एनसीडीसी ने अनुमेय विशेषताओं के साथ एक विशेष कोष बनाया है जो युवा लोगों को योजना में भाग लेने की अनुमति देता है।
- यह पहल एनसीडीसी–अनुमोदित सहकारी स्टार्ट–अप और इनोवेशन फंड से जुड़ी है, जिसमे 1000 करोड़ रुपये की राशी सम्माहित है।
- योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और आकांक्षी जिलों में स्थित सहकारी समितियों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है।
- महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को विशेष ध्यान दिया जाता है।
- किसानों की आय को दोगुना करने के मिशन में युवा सहकार योजना शामिल है।

इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 1000 करोड़ों रुपए का बजट पारित किया गया है, जिसके जरिए युवाओं को कम ब्याज पर लोन दिया जा सके अथवा सब्सिडी दी जा सके. इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को फायदा मिलेगा, खास तौर पर इसमें महिलाओं को ज्यादा फायदा दिया जाएगा।

युवा सहकार योजना के लाभ :

- उद्यमिता कार्यक्रम उन युवाओंध्समितियों को धन प्रदान करता है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
- जो सहकारी समिति स्टार्ट–अप के साथ साथ इन्नोवेशन फंड के 80 प्रतिशत तक की राशी का भुगतान करते हों उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है
- 3 करोड़ तक की लगत वाली परियोजनाओं के लिए मानक दर से 2 प्रतिशत कम ब्याज दर पर उधार प्रदान किया जाता है साथ ही मूलधन भुगतान पर दो वषों की छूट भी दी जाती है
- समितियों की राशी सुरक्षित रहती है तथा वे शीघ्र स्टार्ट–अप पूँजी प्राप्त कर सकते हैं

युवा सहकार योजना के लिए पात्रता :

- एनसीडीसी वैसी सहकारी समितियों के लिए परियोजना लागत का 80% कवर करता है जो एक विशेष समूह में आते हैं, जैसे कि महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या दिव्यांग व्यक्ति।
- एनसीडीसी एक अलग श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों के लिए पूरी परियोजना लागत का 70% कवर करता है, यानी जो विशेष वर्ग में नहीं आते हैं।
- किसी भी प्रकार की सहकारी समितियाँ जो कम से कम एक वर्ष से अस्तित्व में हैं, पात्र हैं।
- सहकारी समितियों, राज्य सरकारों, एनईडीएफआई, पीएसयू आदि से गारंटी।
- सहकारी समितियां जो नीति आयोग द्वारा चिन्हित क्षेत्र में पंजीकृत हैं
- सहकारी समितियां पूरी तरह से महिलाओं से बनी हैं
- समितियां जो पूरी तरह से एससी, एसटी, या पीडब्ल्यूडी से बने हैं

हर्फ हर्फ अर्थ बिन, बस महज हर्फ हैं
संग हुए तो शब्द हैं, वाक्य और निबंध हैं।

प्रधान सम्पादक : मृत्युंजय कुमार बरणवाल, निबंधक, स0 स0, झारखण्ड **सम्पादक** : जय प्रकाश शर्मा, उप निबंधक, स0 स0
सम्पादकीय सहयोग : राकेश कुमार सिंह, स0 नि0, कुमोद कुमार, स0 नि0
निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रकाशित एवं अन्नपूर्णा प्रेस एण्ड प्रोसेस, राँची द्वारा मुद्रित।
पता : तृतीय तल, पशुपालन एवं सहकारिता भवन, हटिया - 834004, दूरभाष : 0651-2290444
e-mail : jharkhand.coopregistrar@gmail.com, website : cooperative.jharkhand.gov.in